

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारी: रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
बनाम

अभियुक्त:-

1. रियाज अहमद पुत्र श्री बाबू (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)
निवासी- गली न. 3, गरीब नवाज कॉलोनी, मकराना जिला डीडवाना-कुचामन
फर्म -मैसर्स रईस एण्ड ब्रदर्स किराणा स्टोर, मकराना जिला डीडवाना-कुचामन

प्रकरण संख्या :-20 /2023

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v)
एवं दण्डनीय धारा 58 "

उपस्थिति:-


1. अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र श्री बाबू ।

:-निर्णय :-

दिनांक :- 29.02.2024

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.07.2023 को समय 12:30 पी.एम. पर फर्म मैसर्स रईस एण्ड ब्रदर्स किराणा स्टोर, मकराना, पर पहुँचा। वहाँ पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रियाज अहमद पुत्र श्री बाबू, निवासी गली न. 3, गरीब नवाज कॉलोनी, मकराना पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है।
- (2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर एक खुले पीपें में लगभग 10 लीटर सोयाबीन तेल (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। उक्त सोयाबीन तेल को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर जांच हेतु देखा, जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने 1600 ग्रामसोयाबीन तेल (लूज) का [QR Code] वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिकको रु. 208/- [QR Code] (अक्षरे





अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

दो सौ आठ रू. मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिकके हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

- (3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5ए की प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर रियाज अहमद एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को बता दिया था कि यह सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
- (4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक व गवाहान को प्लास्टिक के के चार साफ सूखे एवं खाली जार दिखाकर, उक्त खरीदशुदा सोयाबीन तेल (लूज) को चार बराबर-बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सूखी एवं खाली जारों में बराबर-बराबर मात्रा में डाला फिर इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन एयर टाइट बन्द किये, जिस पर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के कोड व सिरियल न. Q-2411, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रियाज अहमद एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।
- (5) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना को सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने डिव्ये मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुघामन सिटी

- (6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/575 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/975/Act/2023/1009 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना Q-2411 is Contravention of Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक:-चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/575 दिनांक 08.08.2023 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।
- (7) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) का खुली अवस्था में विक्रय किया जो अधिनियम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।
- (8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.02.2024 को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक रियाज अहमद ने उपस्थित होकर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा जिस सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना जांच के लिए लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में बेचा जाना पाया गया। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे खुली अवस्था में सोयाबीन तेल का बैचान नहीं करने के बारे में जानकारी नहीं थी। निवेदन करता हूँ कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
- (9) प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. L.S/975/Act/2023/1009 दिनांक 17.07.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-




अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Opinion- The sample of Refined Soyabean Oil bearing Code No. and Sr. No. Q- 2411 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is prohibited as it Contravenes to Regulation No. 2.3.14.(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 because it sold in loose condition.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता रियाज अहमद से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल(लूज) नमूना नं. Q-2411 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम 2011 के तहत खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल(लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/जा.रि/2023/575 दिनांक 08.08.2023 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2411 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया गया जो इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक रियाज अहमद फर्म-मैसर्स रईस एण्ड ब्रदर्स किराणा स्टोर, मकराना निवासी- गली न. 3, गरीब नवाज कॉलोनी, मकराना दोषी व उत्तरदायी है।




Jan
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रियाज अहमद

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र श्री बाबू फर्म-मैसर्स रईस एण्ड ब्रदर्स किराणा स्टोर, मकराना निवासी- गली न. 3, गरीब नवाज कॉलोनी, मकराना पर राशि रुपये 7000/- (अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे। मिसल वास्ते इन्तजार चालान/डीडी जुर्माना राशि के आईन्दा दिनांक 28.03.2024 को पेश हो।

(11)आदेश दिनांक 29.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रवीन्द्र कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

